न्यायालय असि० कलेक्टर / उप जिलाधिकारी सिकन्दरा रमाबाई नगर
वाद सं०- 2 धारा- 143
मौजा- डुबकीहसनपुर परगना - सिकन्दरा
अशोक कुमार बनाम गांव सभा
तारीख फै० - 14-2-11 नकल आदेश - 14-2-11

न्यायालय असि0 कलेक्टर / उप जिलाधिकारी सिकन्दरा रमाबाई नगर।

वाद सं0
अशोककुमार बनाम गांव सभा

धारा – 143ज.वि. एव भू.सु.अधि
ग्राम – डुबकीहसनपुर
परगना व तहसील – सिकन्दरा
जनपद – रमाबाई नगर।

निर्णय

वाद उपरोक्त अशोककुमार पुत्र कुन्ज बिहारीलाल प्रवन्धक कुन्ज बिहारीलाल मेमोरियल महा विद्यालय डुबकी हसनपुर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद रमाबाई नगर द्वारा धारा 143 ज.वि. एवं भू.सु.अधि. के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम डुबकीहसनपुर की खतौनी फसली वर्ष 1411 से 1416फ. के खाता सं0 04 की गाटा सं0 106 रकवा 1.711हे0 में से रकवा 1.025हे0 अकृषक घोषित करने का अनुरोध किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार सिकन्दरा से आख्या चाही गयी एवं पक्षों को नोटिस जारी की गयी तहसीलदार सिकन्दरा ने अपनी आख्या दिनांक 15.01.2011 में कहा है। कि ग्राम डुबकीहसनपुर की वर्तमान खतौनी 1417 से 1422फ0 के खाता सं0 03 पर अंकित गाटा सं0 106 रकवा 1.711हे0 जिमन 1क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। जिसमें गाटा सं0 106 रकवा 1.025हे0 पर कुन्ज बिहारीलाल मेमोरियल महाविद्यालय के नाम बैनामा है। तथा विद्यालय बना हुआ है तथा पूर्व तरफ शेष रकवा 0.686हे0 अशोककुमार पुत्र कुन्ज बिहारीलाल के नाम अंकित है। शेष रकवा 0.686हे0 पर मौके पर खेती की जाती है। अपनी आख्या में ग्राम डुबकीहसनपुर की गाटज्ञ सं0 106 रकवा 1.025हे0 को अकृषक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्राप्त करायी है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की आख्या दिनांक 15.01.2011 व पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया तथा पखों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना पक्षों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रश्नगत भूमि का स्वरूप परिवर्तित हो चुका है तथा इमारत निर्मित है जिसके आधार पर ग्राम डुबकी हसनपुर की खतौनी फसली वर्ष 1417 से 1422फ0 की खता सं0 03 की गाटा सं0 106 रकवा 1.711 भू राजस्व 56.25 में से रकवा 1.025हे0 को धारा 143 ज.वि. एवं भू.सु.अधि. के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किये जाने योग्य है तहसीलदार सिकन्दरा की आख्या संलग्न प्रारूप इस आदेश का भाग है।

आदेश

अतः ग्राम डुबकीहसनपुर की खतौनी वर्ष 1417 से 1422फ0 की खाता सं0 3 की गाटा सं0 106 रकवा 1.711भू राजस्व 56.25 मे से रकवा 1.025हे0 को धारा 143 ज.वि. एवं भू.सु.अधि. के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार सिकन्दरा को भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

14.2.11

असि.कले. / उपजिलाधिकारी
सिकन्दरा, रमाबाई नगर।

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY निरस्त

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY निरस्त